

मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 24/01/2025


क्र. IPI/2/0094/2023/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक क्षेत्र प्लास्टिक पार्क तामोट जिला रायसेन में भूखण्डों की प्रचलित दरों के युक्तियुक्तकरण संबंधी विभागीय प्रस्ताव पर निम्नानुसार सुविधायें प्रदान किये जाने का निर्णय लिया जाता है-

1. जिला रायसेन में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र प्लास्टिक पार्क तामोट के समीपवर्ती अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन हेतु प्रचलित दर कम होने, भूमि आवंटन एवं क्षेत्र में औद्योगिकीकरण तथा रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उक्त औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन हेतु प्रचलित दरों के युक्तियुक्तकरण उपरांत निम्नानुसार दरें निर्धारित की जाती हैं-

भूमि का मूल्य	रु. 340/- प्रति वर्गमीटर
विकास शुल्क	रु. 1360/- प्रति वर्गमीटर अर्थात् यथावत

2. उक्त संशोधित दर इस हेतु आदेश जारी होने की दिनांक से 02 वर्षों हेतु प्रभावशील होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार


(शाश्वत सिंह मीना)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
भोपाल, दिनांक 24/01/2025

पृ. क्र. IPI/2/0094/2023/ए-ग्यारह
प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
 3. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।
 4. कलेक्टर, जिला- रायसेन।
 5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग